न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या:– 59 / 2021

प्रार्थी:–

मानाराम पुत्र प्रभूराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

मृतक रामाराम पुत्र सवाराम के कायम मुकाम

1. जसराज पुत्र स्वर्गीय रामाराम
2. ओमाराम पुत्र स्वर्गीय रामाराम

3 माणकराम पुत्र स्वर्गीय रामाराम

4 भैराराम पुत्र स्वर्गीय रामाराम

5 श्रीमती मोरोदेवी पुत्री स्वर्गीय रामाराम

6 श्रीमती अमरती देवी पुत्री स्वर्गीय रामाराम

7 हिरकीदेवी बेवा स्वर्गीय रामाराम

सभी जातिगण घांची निवासीगण सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

8 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना

9 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री **किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

2. श्री **कैलाशपुरी विप्रार्थीगण 1 ता 7**

–: आदेश :–

दिनांक :–27.09.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 03.5031 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है, जो बालोतरा से जालोर जाने वाले राजस्व कटाण का रास्ता से जुडता से पश्चिम दिशा की ओर [illegible] खसरा संख्या 741 में से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर [illegible] प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 757 में आने जाने हेतु रास्ता एक मात्र विकल्प जो प्रार्थी के खातेदारी [illegible] मे आवगमन हेतु नजदीकी एवं सुलभ रास्ता है जो लगभग 50–6[illegible] से चालू रास्ता है जिसका प्रार्थी उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल ए से बी दर्शाया गया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा आदेश 09 नियम 07 सीपीसी दी.प्र.स. हेतु मन्सुख करने हेतु एकपक्षीय कार्यवाही का प्रार्थना पत्र पेश किया । नकल प्रार्थी वकील को दी गई ।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पर सुना गया । दौराने बहस विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के वकील द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय श्री द्वारा दिनांक 16.07.2021 को विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नोटिस तामील सुदा मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को न तो कभी नोटिस प्राप्त हुये न ही कोई तामिल कुनिन्दा विप्रार्थीगण को मिला तथा विप्रार्थीगण आन्ध्रप्रदेश में व्यवसाय करते है विप्रार्थीगण को ज्ञान दिनांक 16.07.2021 को हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा मौके पर आये तब ज्ञात हुआ । तथा न्यायालय से नकल लेने पर प्रार्थना पत्र का ज्ञान हुआ । प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार भी दूसरे पक्ष को यानि विप्रार्थीगण को सुनना न्याया प्राप्ति हेतु पूर्णतया आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाकर विप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिया जाना न्यायाहित मे नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये थे जो नोटिस लेने से इन्कार के साथ न्यायालय श्री में प्राप्त हुये है इससे साफ जाहिर है कि विप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र का ज्ञान हो चुका था फिर भी जानबूझकर न्यायालय में सुनवाई हेतु उ[illegible] न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की इसलिए विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के विरूद्व न्यायालय श्री द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई विप्रार्थी द्वारा जानबूझकर बावजूद नोटिस तामिल कु[illegible] द्वारा तामिल करवाने के बाद भी सुनवाई में नहीं उपस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

हमने दोनो पक्षा के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार पक्षकारो को यानि विप्रार्थीगण को सुनना

न्यायोचित है। न्याय प्राप्ति हेतु पूर्णतया आवश्यक है तथा पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाना कि कानून की मंशा है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को सुनवाई का अवसर दिया जाने हेतु दिनांक 16.07.2021 को अमल में लाई हुई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर विप्रार्थीगण को सुनवाई व जबाव प्रार्थना पत्र का अवसर दिया जाता है।

तहसीलदर सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/383 दिनांक 26.07.2021 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई। नकल प्रार्थी वकील को दी गई। मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पर पक्षकारो को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु दर्शाय गये वैकल्पिक रास्ते में जो खसरे का उल्लेख किया गया है उन वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वैकल्पिक रास्ते की दूरी अधिक है तथा मौके पर रहवासीय मकान,टयूबवेल व पानी की हौदी इत्यादि होने से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/383 दिनांक 26.07.2021 को प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 757 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा संख्या 741 में से जो रास्ता चाहा गया है उस खसरे से कटाण मार्ग सडक से जुडता खेत खसरा संख्या 2948/2691 का रकबा 0.4806 हैक्टयर अवस्थित है जिसमें से रास्ता दिये जाने हेतु खातेदार श्रीमती कमलादेवी पत्नी सांवलराम द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2948/2691 मे से सप्रतिफल रास्ता दिये जाने की सहमति व स्वीकृति न्यायालय श्री में पेश की है।

हमने दोनो पक्षकारो के वि[illegible]वक्ताओ की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थी वकील [illegible]वेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 05.5031 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। जो बालोतरा से जालोर जाने वाले राजस्व कटाण का रास्ता से जुडता से पश्चिम दिशा की ओर आई हुई कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 741 में से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर स्थित प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 757 में आने जाने हेतु रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] (बाड़मेर)

आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है जो लगभग 50–60 वर्षो से चालू रास्ता है जिसका प्रार्थी उपयोग करता आ रहा है तथा तहसीलदार सिवाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी का उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता व कटाण रास्ता से जुडता हुआ नजदीक रास्ता का उल्लेख किया गया है जो लगभग 40–50 वर्षो से आवगमन होता था । विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जवाब के सलंग्न नक्शा परिशिष्ट व अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो नजदीकी व निकटतम है।

दोनो पक्षो को सुना गया तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व मनन किया गया । तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कटाण मार्ग से जुडता सबसे नजदीकी व सुलभ रास्ता है प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 757 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खेत खसरा संख्या 741 में से जो रास्ता चाहा गया है उस खसरे से कटाण मार्ग सडक से जुडता खेत खसरा संख्या 2948/2691 का रकबा 0.4806 हैक्टयर अवस्थित है जिसमें से रास्ता दिये जाने हेतु खातेदार श्रीमती कमलादेवी पत्नी सांवलराम द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2948/2691 मे से साप्रतिफल रास्ता दिये जाने की सहमति व स्वीकृति न्यायालय श्री में पेश की है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2021/383 दिनांक 26.07.2021 के संलग्न नजरी नक्शा बरंग गुलाबी व हरा स्वीकार किया जाकर कर प्रार्थी के खेत खसरा संख्य 757 मे आवगमन हेतु खसरा संख्या 741 व 2948/2691 से से 2 गट्ठा चौडाई रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रास्ते की ... को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि ... गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी... को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी। प्रार्थी को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी
... (बाड़मेर)

राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी. तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 27.09.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:11 IST
Reason: SelfAttested